HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1137/2026
URN: CRLR / 2049U / 2026

Kishore A Son Of Hansraj, Aged About 16 Years, (Date Of Birth 10.09.2009), R/o Village Damoon Khurd, P.s.kotwali, District Sawai Madhopur, Through Natural Guardian Father Hansraj Son Of Badri Lal (Presently In Children Home, Sawai Madhopur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sudhir Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

14/07/2026

अधीनस्थ विचारण न्यायालय, **प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सवाईमाधोपुर** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**152/2026, पुलिस थाना–कोतवाली, जिला सवाईमाधोपुर** में पारित आदेश दिनांक–**11.06.2026,** जिसके तहत याची/किशोर का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **12** किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 खारिज किया गया एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय–**बालक न्यायालय (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), सवाई माधोपुर (राज.)** द्वारा आपराधिक अपील संख्या–**87/2026** में पारित आदेश दिनांक **13.06.2026** के द्वारा याची–किशोर की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा **101** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 खारिज की गई, जिससे व्यथित होकर याची–किशोर की ओर से जरिये संरक्षक यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (जमानत) प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई।

विधि से संघर्षरत याची/किशोर (जिसे आगे किशोर कहा जाएगा) के योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि याची/किशोर निर्दोष है, उस पर लगाए गए आरोप मिथ्या हैं। किशोर दिनांक 03.06.2026 से राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में है, उनका यह भी निवेदन है कि किशोर स्नातक के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है, उसके विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। किशोर को लम्बे समय तक संप्रेक्षण गृह में निरूद्ध रखे जाने से उसके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा तथा भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आक्षेपित आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है, याची–किशोर को यदि जमानत की सुविधा दी गई तो वह अपने परिवारजन के संरक्षण में अधिक सुरक्षित रहकर अपना अनुकूल भविष्य निर्मित कर सकेगा। किशोर के मामलों में अपराध की गंभीरता को नहीं देखा जाना है, अपितु किशोर का हित सर्वोपरि है, प्रकरण की जांच में समय लगेगा। अतः ऐसी स्थिति में धारा 12 जे0जे0 एक्ट के प्रावधानों को देखते हुए आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए याची/किशोर को जमानत सुविधा प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता, किशोर की अच्छी परवरिश नहीं होने तथा दोनों आक्षेपित आदेशों को विधिक प्रावधानों की मन्शा के अनुरूप होना बताते हुए आक्षेपित आदेश पुष्ट किए जाने तथा यह पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों, विधिक प्रावधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री पर गंभीरता से विचार किया, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। किशोर के मामलों में अपराध की गंभीरता को नहीं देखा जाना है, अपितु किशोर का हित सर्वोपरि है। अतः परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट, मामले की परिस्थितियों, धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान, याची–किशोर के अध्ययनरत होने से उसकी शिक्षा, उसके भविष्य के हित एवं अन्य सभी सुसंगत

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह जमानत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः याची–विधि से संघर्षरत बालक/किशोर ''**अ'' पुत्र हंसराज** की ओर से जरिये संरक्षक प्रस्तुत यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (जमानत) स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः **11.06.2026 व 13.06.2026** अपास्त किए जाते हैं एवं आदेश दिया जाता है कि यदि याची/किशोर की ओर से उनका संरक्षक विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, **पचास हजार रूपये का स्वयं का बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह याची/किशोर को जमानत के दौरान अपनी संरक्षकता में सुरक्षित रखेगा, किसी आपराधिक व्यक्ति/तत्व के सम्पर्क में नहीं आने देगा एवं किशोर को विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उसे नियत प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित कर देगा, तो किशोर को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/15